उदय की ओर

उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि.
(उ.प्र. सरकार का उपक्रम)

नवम्बर 2017, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ अंक – 03

अध्यक्ष की कलम से ....

मासिक न्यूज लेटर के तृतीय अंक के प्रकाशित होने के अवसर पर सबसे चुनौती यह है कि जिन क्षेत्रों तथा खण्डों में राजस्व संग्रह माह अक्टूबर 2017 में निराशाजनक रहा वहां गैप को पूर्ण करते हुए माह नवम्बर 2017 में लक्ष्य को पूर्ण किया जाए। अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये घोषित नयी इन्सेंन्टिव स्कीम का खण्डों द्वारा अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। सूचना तकनीक की सहायता से कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स भी खण्डों को सहातार्थ उपलब्ध कराये गये हैं।

प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.पा.का.लि. का संदेश

कारपोरेशन द्वारा 'उदय की ओर' न्यूज लेटर के प्रकाशन पर मैं सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को शुभकामनायें देती हूँ।

हमारा दायित्व घर-घर, गाँव-गाँव उजाला पहुँचाने का अवश्य है परन्तु साथ ही विभाग को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी भी बनाना है। इसके लिये आवश्यक है कि अच्छे एवं नियमित उपभोक्ताओं को बेहतर सेवायें प्रदान की जायें एवं विद्युत चोरी तथा अनियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के साथ कड़ाई करते हुए उन पर अंकुश लगाया जायें।

ग्रामीण क्षेत्र में कन्ज्यूमर टर्न अप बढ़ाने के उद्देश्य से सभी विद्युत उपकेन्द्रों पर कैश कलेक्शन सेन्टर खोले जा चुके है एवं नॉन-आर०ए०पी०डी०आर०पी क्षेत्र के सभी उपखण्ड अधिकारियों को मोबाइल 'कैश कलेक्शन वैन' उपलब्ध करा दी गयी है। आशा है कि उक्त सुविधाओ के प्रयोग से ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए राजस्व शिविरों के माध्यम से 'कन्ज्यूमर टर्न अप' में वृद्धि होगी साथ ही राजस्व भी अधिक प्राप्त होगा।

मुझे विश्वास है आप सभी के सहयोग से सौभाग्य योजना के अंतर्गत सभी उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन प्रदान कर हर घर को रोशन किया जायेगा।

(अपर्णा यू)
प्रबन्ध निदेशक, पाकालि

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य"

योजना के अन्तर्गत अविद्युतीकृत घरों को विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के लिये कांट्रेक्टर को निकटस्थ एलटी पोल से 1.5WG के GI वायर के साथ दो कोर 4.0 mm^2 की एल्युमिनियम कंडक्टर की अधिकतम 35 मी0 सर्विस लाइन, शीट मेटल अथवा FRP आधारित SMC मीटर बाक्स, सिंगल फेज प्री–पेड/स्मार्ट मीटर तथा प्रत्येक घर को 01 स्विच बोर्ड, 01 एंगल होल्डर, 01 थ्री पिन सॉकेट, 02 स्विच एवं 01 होल्डर तथा 09 वाट तक का 01 एलईडी बल्ब प्रदान किया जायेगा।

नान–आरएपीडीआरपी क्षेत्र में OTP व्यवस्था लागू

नान–आरएपीडीआरपी क्षेत्र में OTP (One Time Password) व्यवस्था लागू। अब अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ID Password डाल कर Login करने पर अपने पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त OTP को डालकर Login करने पर ही अब आन–लाइन कार्य कर सकेंगे।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा बेहतर राजस्व वसूली हेतु कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये राजस्व वसूली (थ्रू रेट रू. प्रति यूनिट) बढ़ाने पर नकद प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी। विस्तृत विवरण पृष्ठ 4 पर.....

सुझाव हेतु

विद्युत व्यवस्था एवम् राजस्व वसूली में सुधार हेतु आप अपने बहुमूल्य सुझाव suggestionuppcl@gmail.com पर दे सकते है। अच्छे एवम् व्यवाहरिक सुझाव को प्रकाशित एवम् प्रोत्साहित किया जायेगा।

सराहनीय कार्य की सूचना

फील्ड में किये जा रहे सराहनीय कार्य को 'उदय की ओर' में प्रत्येक माह प्रकाशित किया जा रहा है एवम् बेहतर कार्यों को प्रोत्साहित भी किया जायेगा। अतः आप अपने कार्यों का संक्षिप्त विवरण मय फोटोग्राफ /पदनाम/तैनाती स्थल के साथ udai.ki.or@gmail.com पर भेजें।

कुछ खास

मुख पृष्ठ

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" – पृष्ठः 1

नान–आरएपीडीआरपी क्षेत्र में OTP व्यवस्था लागू – पृष्ठः 1

सराहनीय कार्य

बरेली क्षेत्र में 110 केवीए के राइस मिल में विद्युत चोरी – पृष्ठः 2

फीडरों की ऑन–लाइन मैपिंग एवं फीडरवार कन्ज्यूमर की टैगिंग – पृष्ठः 2

मुरादाबाद क्षेत्र में सघन विद्युत चोरी अभियान – पृष्ठः 2

कैसे करें ?

राजस्व क्षति को रोकने के लिये परीक्षण खण्ड द्वारा अनिवार्य रूप से किये जाने वाले प्रमुख कार्य – पृष्ठः 3

बिलिंग गुणवत्ता सूचकांक – पृष्ठः 3

उपभोक्ताओं का रेगुलर एण्ड क्लीन एकाउन्ट – बिलिंग गुणवत्ता में सुधार एवं टर्नअप – पृष्ठः 3

माह में जारी प्रमुख कारपोरेशन आदेश एवं सर्कुलर

विद्युत प्रदाय संहिता –2005 दशम संशोधन – पृष्ठः 4

सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों/परिसरों एवं आवासीय भवनों के विद्युत संयोजनों पर प्री–पेड मीटर स्थापित कर विद्युत आपूर्ति – पृष्ठः 4

नगरीय निकायों, जल निगम व जल संस्थानों को मीटर युक्त विद्युत कनेक्शन दिया जाना – पृष्ठः 4

संदिग्धो की पहचान कर बरेली क्षेत्र में 110 केवीए के राइस मिल में मीटर छेड़छाड़ व रिमोट से विद्युत चोरी पकड़ी

श्री सी0पी0 यादव, अधीक्षण अभियन्ता वि0वि0म0, लेसा–2 के द्वारा बरेली क्षेत्र में 8 संदिग्ध उपभोक्ताओं की जाँच की गई। प्रमुख रूप से मै0 गुनगुन इन्डस्ट्रीज, तिलहर शाहजहाँपुर के 110 के0वी0ए0 के राइस मिल में विद्युत संयोजन का उपभोक्ता मीटर रेम्पर्ड एवं मीटर में रिमोट पाया गया। इस उपभोक्ता की पोल मीटरिंग यूनिट भी क्षतिग्रस्त पायी गई। इसके अतिरिक्त श्री रामधुन 28, किलोवाट एवं श्री भगवन्त 18 एच0पी0 संयोजनों के डाटा विश्लेषण में 12 से 15 घण्टे तक मीटर बन्द किये पाये जाने पर जाँच की गई। जाँच में श्री रामधुन द्वारा मीटर के पुशबटन के पास पिन होल करके मीटर को बन्द किया जा रहा था जबकि श्री भगवन्त द्वारा टर्मिनल प्लेट खोलकर मीटर में पोटेन्शियल तारों को ढीला किया गया पाया गया। उपरोक्त प्रकरणों में श्री सी0पी0 यादव अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सराहनीय कार्य किया गया एवं सम्बन्धित खण्ड द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत उपरोक्त तीनों प्रकरणों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

फीडरों की ऑन–लाइन मैपिंग एवं फीडरवार कन्ज्यूमर की टैगिंग का शत प्रतिशत कार्य पूर्ण

मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के (नॉन–आरएपीडीआरपी) उपकेन्द्रों एवं फीडरों की ऑन–लाइन मैपिंग एवं फीडरवार कन्ज्यूमर की टैगिंग का शत प्रतिशत कार्य पूर्ण कर सराहनीय कार्य किया गया है। इसके अन्तर्गत श्री अशोक कुमार (आई0डी0नं0–84007) मुख्य अभियन्ता स्तर–। (वाणिज्य) मध्यॉंचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा शहरी क्षेत्रों में 1750251 उपभोक्ताओं में से 1458966 उपभोक्ताओं व ग्रामीण क्षेत्रों में 3047861 उपभोक्ताओं में से 3024978 उपभोक्ताओं, जो कि क्रमशः 83% व 99% है, की फीडर टैगिंग का कार्य एक माह में पूर्ण कराकर प्रशंसनीय रूप से विभाग के प्रति अपनी निष्ठा एवम् प्रतिबद्धता का परिचय दिया है।

श्री अशोक कुमार की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप मध्यॉंचल विद्युत वितरण निगम लि0 का फीडर टैगिंग का कार्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 83% व 99% पूरा हो सका है, व परिणामस्वरूप निकट भविष्य में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन हानियाँ का पारदर्शी आंकलन सम्भव हो सकेगा। कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा श्री ए0के0 सिंह मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं नोडल अधिकारी) मध्यॉंचल को प्रशस्ति पत्र हेतु चयनित किया गया है।

मुरादाबाद क्षेत्र में सघन विद्युत चोरी अभियान में पकड़ी गयी व्यापक बिजली चोरी

दिनांक 28.10.2017 की प्रातः मुरादाबाद क्षेत्र के समस्त पांचों जिले बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, सम्भल, मुरादाबाद के अंतर्गत वृहद पैमाने पर प्रत्येक उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता के क्षेत्र में प्रातकालीन रेड करायी गयी, जिसमें कटे हुए संयोजन का चैक किया गया तथा बिजली चोरी करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाया गया, इस अभियान में भारी पैमाने पर घरेलू विद्युत चोरी पकड़ी गयी साथ ही पूर्व में कटे हुए कनेक्शन भी जुड़े पाये गये, इन सभी बकायेदार उपभोक्ताओं के विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

मुरादाबाद क्षेत्र में कुल 764 एफआईआर दर्ज हुए जिसमें 138 बी में 183 एवं 135 में 581 एफआईआर दर्ज हुई और 4.13 करोड़ का राजस्व वसूला गया।

Billing Quality Index		RAPDRP AREA						NON-RAPDRP AREA				
		DVVNL	MVVNL	PUVVNL	PVVNL	KESCo	UPPCL	DVVNL	MVVNL	PUVVNL	PVVNL	UPPCL
Billable Consumers	A	1049558	1752867	1184095	2285915	568045	**6840480**	1909210	1729136	1511703	1033500	**10457888**
Bills based on actual readings and actual consumption and Meter OK - (only till 25th of the month)	B	811553	1249698	848510	2009858	507769	**5427388**	364982	312069	149856	346554	**1981940**
Bills which may be based on average / provisional assessment, but current reading is Actual and Meter is OK (bill may be assessed because previous reading might be wrong)	C	22034	46841	47149	26309	0	**142333**	32750	34314	9189	10138	**140032**
Bills based on average/ provisional Assessment for 3 or more consecutive months for IDF bills	D	52685	83752	37832	13646	18378	**206293**	424803	295058	216054	44282	**1535591**
Bills based on average/ provisional Assessment for 3 or more consecutive months for RDF bills	E	38552	63536	67882	33185	1437	**204592**	11085	9007	1579	3510	**39277**
New connections with first bill not generated for 2 months from date of meter installation	F	3126	2584	3848	6919	1659	**18136**	6013	18428	18022	60875	**200663**
Bills generated beyond 25th of the month	G	41501	140524	105298	81742	35804	**404869**	168186	114628	144629	82814	**852328**
Billing Quality Index	H	76.77	70.62	71.95	87.83	87.31	**78.93**	14.38	14.76	5.25	29.63	**14.88**

राजस्व क्षति को रोकने के लिये परीक्षण खण्ड द्वारा अनिवार्य रूप से किये जाने वाले प्रमुख कार्य

- 10 किलो वॉट की शतप्रतिशत MRI आधारित बिलिंग सुनिश्चित कराना।
- MRI न होने की स्थिति में मीटरिंग प्रणाली को MRI आधारित करने के लिये आवश्यक कार्य किया जाना यथा मीटर बदलना, MRI पोर्ट को ठीक करना इत्यादि।
- Online MRI प्रणाली एवं बिलिंग में डाटा का सही होना।
- डबल मीटर मिलान एवं MRI विश्लेषण द्वारा अनियमितता के विरूद्ध कार्यवाही।
- वर्ष में एक बार प्रत्येक 5 किलो वॉट एवं उससे अधिक भार वाले उपभोक्ता की MRI कराकर विश्लेषण कर अनियमितताओं पर कार्यवाही।
- वर्ष में एक बार सभी बड़े उपभोक्ताओं के CT/PT एवं MF का ऑडिट।
- कार्य योजना बनाकर समस्त खराब मीटर/अनमीटर्ड को मीटर्ड करने के कार्य को किया जाना।
- लगे मीटरों की शतप्रतिशत ऑनलाइन एडवाइज किया जाना।
- पारेषण उपकेन्द्र से 33 के0वी0 फीडर पर ऊर्जा के सापेक्ष उपेकन्द्र/उपकेन्द्रों से 11 के0वी0 फीडरों पर निर्गत ऊर्जा का मासिक ऑडिट का कार्य।

बिलिंग गुणवत्ता सूचकांक (BQI)

बिलिंग की गुणवत्ता को लेकर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन व सभी वितरण कम्पनियां हमेशा से चिंतित रही है। अब इसको ठीक प्रकार से मापने व इसमें निरंतर सुधार के लिये बिलिंग गुणवत्ता सूचकांक बनाया गया है। यह सूचकांक हमारे सभी डिवीजन के अधिशाषी अभियन्ता व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को बिलिंग संस्थाओं व कर्मियों के कामकाज को अधिक प्रभावी तरह से नियमित करने में बहुत सहायक होगा। शीघ्र ही यह सूचकांक उपकेन्द्रवार उपलब्ध हो जायेगा बिलिंग गुणवत्ता सूचकांक (BQI) के गणना निम्नानुसार की जायेगी :

$$BQI = \frac{(B * 1 + C * 1 - D * 0.2 - E * 0.2 - F * 0.4 - G * 0.2) * 100}{A}$$

एक्टिविटी कोड	एक्टिविटी कर विवरण	गुणांक	सुधार का दायित्व
A	कुल बिलेबल उपभोक्ताओं की संख्या		
B	उपभोक्ताओं की संख्या जिनका बिल रीडिंग आधारित है एवं माह की दिनांक 25 ता0 तक जारी किया जा चुका है।	+1	बिलिंग एजेन्सी के माध्यम से खण्ड द्वारा।
C	उपभोक्ताओं की संख्या जिनका बिल पिछले माह IDF/RDF/ADF/CDF /NA/NR का था परन्तु इस माह रीडिंग आधारित जारी किया गया है।	+1	वितरण खण्ड द्वारा IDF/RDF/ADF/CDF फ्लैग ठीक करने एवं बिलिंग एजेन्सी द्वारा रीडिंग आधारित बिल निर्गत करना।
D	उपभोक्ताओं की संख्या जिनका बिल पिछले तीन माह अथवा उससे अधिक समय से बिलिंग IDF श्रेणी में की जा रही है।	-0.2	परीक्षण खण्ड द्वारा मीटर बदलने की कार्यवाही एवं वितरण खण्ड द्वारा बिल संशोधन।
E	उपभोक्ताओं की संख्या जिनकी बिलिंग पिछले तीन माह अथवा उससे अधिक समय से RDF श्रेणी में की जा रही है।	-0.2	मीटर खराब होने पर परिवर्तन अथवा मीटर एडवाइस न होने पर एडवाइस करने का कार्य परीक्षण खण्ड एवम् बिल संशोधन वितरण खण्ड द्वारा
F	निर्गत नये संयोजन की संख्या जिनका प्रथम बिल मीटर स्थापना तिथि से 2 माह बाद भी जारी नही हुआ है।	-0.4	वितरण खण्ड द्वारा
G	ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या जिनके बिल माह की 25 ता0 के बाद बने।	-0.2	खण्ड द्वारा बिलिंग एजेन्सी से शत्–प्रतिशत् बिलिंग 25 ता0 से पूर्व कराना।

उपभोक्ताओं का रेगुलर एण्ड क्लीन एकाउन्ट – बिलिंग गुणवत्ता में सुधार एवं टर्नअप

AT&C हॉनियॉ को कम करते हुए राजस्व वसूली के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को सही बिल निर्गत करते हुये बिल की निर्धारित समयसीमा मे वसूली सुनिश्चित हो। इसके लिये रीडिंग आधारित एवं समय पर बिल की वसूली वाले उपभोक्ताओं के खाते में Regular & Clean Account (R&CA) Flagging की जा रही है जिसके अनुश्रवण से Billing data में सुधार करते हुए सभी उपभोक्ताओं के खातों को R&CA एकाउन्ट में परिवर्तित करने का लक्ष्य है। जिसकी गणना निम्नानुसार की जायेगी :

i. RAPDRP क्षेत्र में :– उपभोक्ता का बिल माह में रीडिंग आधारित है एवं पिछले तीन माह में बिल जमा किया गया है।
ii. (a) NON-RAPDRP मीटर्ड उपभोक्ता का बिल माह में रीडिंग आधारित है एवं पिछले छः माह में बिल जमा किया गया है।
(b) NON-RAPDRP अन मीटर्ड उपभोक्ता द्वारा बिल छः माह में जमा किया गया है।

DISCOM				DVVNL	MVVNL	PuVVNL	PVVNL	KESCo	UPPCL
RAPDRP	BILLABLE CONSUMERS			1104676	2043585	1151601	2387066	568043	**7254971**
	READING BASED BILL PAID IN JULY , AUG, SEP-2017		IN %	64.60	61.87	55.34	77.46	0.00	**66.76**
	READING BASED BILL PAID IN AUG, SEP, OCT -2017		IN %	64.66	61.50	54.53	77.40	82.18	**67.73**
NON-RAPDRP	UNMETERED BILLABLE CONSUMERS			3298419	2836904	2762944	1799320		**10697587**
	UNMETERED CONSUMERS	PAID IN 6 MNTH UPTO SEP, 17 (APR TO SEP)	IN %	21.14	18.92	15.05	25.1		**19.10**
		PAID IN 6 MNTH UPTO OCT, 17 (MAY TO OCT)	IN %	21.83	19.02	15.54	24.72		**19.30**
	METERED BILLABLE CONSUMERS			1912680	1756457	1518303	1042855		**6230295**
	METERED CONSUMERS	PAID IN 6 MNTH UPTO SEP, 17 (APR TO SEP)	IN %	11.03	7.51	4.45	18.17		**9.63**
		PAID IN 6 MNTH UPTO OCT, 17 (MAY TO OCT)	IN %	11.98	8.18	4.86	19.17		**10.38**

मुख्य संरक्षक
मा0 पंडित श्रीकांत शर्मा
ऊर्जा मंत्री
उ0प्र0 सरकार

संरक्षक
श्री आलोक कुमार, आईएएस
प्रमुख सचिव ऊर्जा
एवं
अध्यक्ष, उ0प्र0 पाकालि

मुख्य सम्पादक
अपर्णा 'यू0', आईएएस
प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

सम्पादकगण
डॉ. संजय कुमार सिंह
निदेशक (वाणिज्य)
इं0 अमित कुमार श्रीवास्तव
अधीक्षण अभियन्ता, इनर्जी आडिट
इं0 विवेक दीक्षित
अधीक्षण अभियन्ता, वाणिज्य
इं0 आर0के0 जैन
स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष
इं0 रजनीकान्त मिश्र
अधिशासी अभियन्ता, एम.बी.सी.
इं0 ब्रजेश कुमार
अधिशासी अभियन्ता, इनर्जी आडिट
इं0 अनिल कुमार
अधिशासी अभियन्ता, इनर्जी आडिट

संकलन एवं दिशानिर्देश
श्री के.के.सिंह "अखिलेश"
जनसम्पर्क अधिकारी

डिजाइन एवं रचना
श्री उमेश जोशी,
बैक आफिस

कृपया आप अपने सुझाव suggestionuppcl@gmail.com पर भेज सकते हैं। अच्छे सुझावों को प्रकाशित एवं पुरस्कृत किया जाएगा।

विद्युत प्रदाय संहिता – 2005 (दशम संशोधन, 2007)
दिनांक 26.09.2017

उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता –2005 के दशम संशोधन के अनुसार विद्युत चोरी के मामलो में शमन शुल्क जमा किये जाने पर भी टैरिफ दर के दो गुने से राजस्व निर्धारण किया जायेगा।

सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों/परिसरों एवं आवासीय भवनों के विद्युत संयोजनों पर प्री–पेड मीटर स्थापित कर विद्युत आपूर्ति
शासनादेश संख्या 2688/चौबीस–पी–3–2017 दिनांक 24.10.2017 एवं कारपोरेशन आदेश संख्या 185/पीएससीएस/17 दिनांक 26.10.2017

सरकारी/अर्द्धसरकारी तथा शासकीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्यालयों/परिसरों एवं आवासीय भवनों के विद्युत संयोजनों पर अनिवार्य रूप से प्री–पेड मीटर स्थापित कर विद्युत आपूर्ति की जायेगी। प्रथम चरण में शासनादेश के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित नगरों में सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं के आवासीय भवनों में तथा जनपद लखनऊ व गाजियाबाद में स्थित सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्यालयों में प्री–पेड मीटर की स्थापना अभियान चलाकर 31 दिसम्बर 2017 तक अवश्य करा ली जाय।

नगरीय निकायों, जल निगम व जल संस्थानों को मीटर युक्त विद्युत कनेक्शन दिया जाना
शासनादेश संख्या 872/9–9–2017–15 ज/17 दिनांक 18.10.2017 तथा कारपोरेशन आदेश संख्या 186/पीएससीएच दिनांक 26.10.2017

शासनादेश के अनुसार नगर विकास विभाग की संस्थाओं को जो भी विद्युत कनेक्शन दिये गये है, या भविष्य में दिये जायेंगे, उनको अनिवार्य रूप से मीटर्ड कनेक्शन ही दिया जाए एवं मीटरिंग का कार्य दिनांक 31.12.2017 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय क्योंकि शासनादेश के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2018 के पश्चात् ऐसे विद्युत संयोजनों से सम्बन्धित कोई भी विद्युत बिल जो मीटर कनेक्शन के अनुसार नही है, का भुगतान नगर विकास विभाग की संस्थाओं द्वारा नही किया जायेगा

Revenue Based Incentive Scheme for Employees/Officers

1. **Objective :** To motivate Employees/ Officers to improve through rate (Revenue per Unit) of their division thereby enabling Discoms to achieve Financial stability
2. **Duration :** The Scheme shall be launched between 1st November 2017 to 31st December 2017. Can be extended in same or modified form for subsequent period.
3. **A) Baseline :** Cumulative through rate (Revenue per Unit) for a period 1/04/2017 to 31/10/2017.
3. **B) Incentive : I.** Incentive will be Rs. 4 Lakh per 10 Paisa per month for Rural division (i.e. Rs. 40,000 per paisa) & Rs.3 Lakh per 10 Paisa per month for Urban division (i.e. Rs. 30,000 per paisa), if the cumulative through rate for the month of November & December is X% higher than the cumulative through rate between 1/04/2017 to 31/10/2017 i.e. baseline, where–
   X = 8% for rural divisions, where baseline through rate is between Rs. 1.00 to Rs. 1.50/ Unit. However, divisions with baseline through rate less than Rs.1.00/Unit shall become eligible for incentive only when they achieve a cumulative through rate of November & December at more than Rs. 1.00/Unit. The incentive amount for such divisions shall be calculated on improvement achieved above through rate of Rs. 1.00/Unit.
   X = 6% for rural divisions, where baseline through rate is more than Rs.1.50/ Unit,
   X = 6% for urban divisions, where baseline through rate is less than or equal to Rs.3.00/ Unit,
   X = 4% for urban divisions, where baseline through rate is more than Rs.3.00/ Unit,
   X = 2% for urban divisions, where baseline through rate is more than Rs.6.00/ Unit,
   ii. For divisions who have seen a reduction in baseline (i.e. the cumulative through rate between 1/04/2017 to 31/10/2017) as compared to the cumulative through rate for the complete year FY 2016-17, the baseline will be through rate for the year FY 2016-17. Further, a division will be eligible for incentive only when the cumulative through rate for the months of November & December, 2017 is higher than the cumulative through rate achieved for the months of November & December, 2016.
3. **C) Time of Disbursement :** Disbursement of incentive in the scheme will be based purely on achievement of through rate, as indicated in (3 B), and shall be made in the second week of February 2018 after ensuring that the through rate of January, 2018 has not fallen below the average through rate of November & December, 2017 for which the Division has become eligible for incentive.
4. **Exclusions : I.** Effect of any tariff hike **ii.** Government dues; centrally realized
5. **Manner of Disbursement :** Incentive, if any, shall be disbursed to the team in the division responsible for such achievement. The amount of incentive shall be disbursed equally in all the individuals responsible for achievement in the division excluding Junior Engineers & above Officers (SDO, AE (Meter), AE (Test), Executive Engineer & Executive Engineer (Test)) whose incentive will be capped at maximum of Rs. 5000 as a form of token appreciation. However, JEs & above Officers will be given individual appreciation for their effort apart from token incentive e.g. if a division gets an incentive of Rs. 4.5 Lac/ month and total staff responsible for such revenue hike consists of 50 individuals comprising of 10 JEs & above Officers then these 10 individuals will be paid at the rate of Rs. 5000 each and remaining 4 lac will be distributed among 40 individuals equally at the rate of Rs. 10000 each individual.
6. **Coverage : i.** Executive Engineer/EE (Test) **ii.** SDOs/ AE (Meter)/ AE (Test) **iii.** Junior Engineers **iv.** Any other employee of the division, who has been declared by the Executive Engineer for being involved in activities related with revenue improvement, but such declaration should be made before hand and latest by 15th November, 2017 **v.** Contractual Staff involved in revenue drive.
7. **Clarification:** Any clarification regarding the scheme can be sought from Director Commercial, UPPCL up to 30 November, 2017.
8. **Differences / Dispute :** Any difference of opinion/dispute arising out of the scheme after 31 December, 2017 will be referred to MD, UPPCL and the joint decision by MD/ Chairman, UPPCL will be final and binding for all.

महत्वपूर्ण आदेश वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध हैं।